राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 45/2018

गोपीचंद पुत्र श्री सूरजमल जाति मीना निवासी सीमल्या ब्रह0 मांगरोल जिला बारां .....वादी

Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) ....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 1955

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : स्वयं वादी

निर्णय दिनांक : 06.06.2018

दायरा दिनांक: 6-6-18

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सीमल्या की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2071–74 की खाता संख्या 176 में वादी गोपीचंद पुत्र सूरजमल मीणा नि सीमल्या का नाम सहवन से गोपीलाल पुत्र सूरजमल दर्ज है, जबकि मुताबिक वादी वादपत्र एवं छाया प्रति आईडी, आधार कार्ड राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड एवं ग्राम सीमल्या के खाता संख्या 81 मे गोपीचंद पुत्र सूरजमल दुरूस्त होकर दर्ज हो रहा है।

वाद पत्र की पुष्टि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा की गई है इस प्रकार वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी, अनुशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जो प्रतिवादी है यह भली प्रकार सिद्ध है कि वाद पत्र के अनुसार सहीनाम गोपीचंद पुत्र सूरजमल होना चाहिए।

अतः चौसाला जमाबदी खाता सख्या 176 सम्वत 2071--2074 ग्राम सीमल्या में गलत नाम गोपीलाल हजफ कर गोपीचंद पुत्र सूरजमल मीना निवासी सीमल्या इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प ईश्वरपुरा मजमेंआन में सुनाया गया।